संख्या- 5/2020 / 970/53-2-20-16(बजट)/2016

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, मेरठ, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज (इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर,गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग के पत्रांक-333/दुग्ध-4/नियो0/कृ0-प्रशिक्षण-सा0/2020-21, दिनांक-22 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध विकास के अन्तर्गत आच्छादित संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.01 लाख (रू0 एक करोड़ एक हजार मात्र) **संलग्नक** के अनुसार व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यो/ मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3) संबंधित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्ध्धशाला विकास अधिकारी / आहरण एवं वितरण अधिकारी गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से उसका वहन करेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों/नियमों/आदेशों के अनुसार यथानियम कार्यवाही करेंगे।

(5) उक्त धनराशि जिला सेक्टर हेतु आबंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(6) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। प्रश्नगत धनराशि का जिलों को आवंटन उनकी मांग के औचित्य का परीक्षण करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु अनुमन्य है।

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण- पत्र संकलित कर शासन को द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे तथा बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखों व बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(8) दुग्ध आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संलग्नक में अंकित आंकडों के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03- दुग्ध विकास कार्यक्रम- 0306 कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24मार्च, 2020 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या- 5/2020/970(1)/53-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in